

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

रा०पु०कं०-

प्रस्तुत दिनांक-24/02/2018

श्री भिगरानी / छिंदवाडा / भू-रा / 2018 / 1522

भागचंद मसराम पिता सोनवा जाति परधान,

निवासी ग्राम जोगीवाडा, तहसील कुरई

जिला सिवनी (म०प्र०)

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाडा (म०प्र०)

उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

विद्वान जिलाध्यक्ष छिंदवाडा द्वारा रा० प्र० कं० 63/अ-21/2017-18 वास्ते अर्जीदार द्वारा रा० प्र० कं० 63/अ-21/2017-18 वास्ते पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि गैर आदिवासी को मौजा ग्राम लकडाईजम्होडी, बं० नं० 515, प० ह० नं० 33, तहसील व जिला छिंदवाडा में स्थित भूमि ख० नं० 90/1 एवं 107/2 रकबा क्रमशः 1.821 हे०, 1.124 हे० कुल रकबा 2.945 हे० भूमि गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति प्रदान न किये जाने के आदेश दिनांक 22.02.2018 से दुखी होकर याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य एवं आधारों सहित निम्न पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, याचिकाकर्ता भागचंद मसराम पिता सोनवा जाति परधान निवासी ग्राम जोगीवाडा, तहसील कुरई जिला सिवनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर मौजा ग्राम लकडाईजम्होडी, बं० नं० 515, प० ह० नं०

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/1522


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 63/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 22-2-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लकडाई जम्होडी ब0नं0 515 प0ह0नं0 33 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 90/1 एवं 107/2 रकबा क्रमशः 1.825 एवं 1.124 कुल रकबा 2.945 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं । उक्त आधार पर कलेक्टर ने</p>	

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है आवेदक की अर्जित भूमि है । यह भी कहा कि उन्होंने आवेदन में आवेदित भूमि पृथक-2 टुकड़ों में होने तथा आवेदकों के पृथक-2 ग्राम में स्थाई निवास करने के कारण आवेदकों ने आवेदित भूमि को विक्रय कर निवास ग्राम से लगे हुए ग्रामों में भूमि क्रय करने का उल्लेख आवेदन में किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है । शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उपरोक्त स्थिति में प्रकरण पुनः आदेश हेतु भेजा जा सकता है ।</p> <p>4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया । यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाडा जिले की छिंदवाडा, सौंसर एवं अमरवाडा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के छठे पैरा के उपपैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं । मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाडा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी</p>	

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/1522

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>सर्किल क्रमांक 63 से 68 और क्रं0 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं0 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाडी और गगौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रमांक 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं। इस अनुसूची में ग्राम लकडाई जम्होडी जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है। इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। अतः उक्त विधिकस्थिति तथा आवेदकों की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, छिंदवाडा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम लकडाई जम्होडी ब0नं0 515 प0ह0नं0 33 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 90/1 एवं 107/2 रकबा क्रमशः 1.825 एवं 1.124 कुल रकबा 2.945 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय</p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य</p>	